निगरानी / एलआर / 2554 / 2006 / जयपुर
लालाराम बनाम हरिराम वगैरह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
20–1–26	**एकल–पीठ** **श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य** **उपस्थित :** श्री जी.एस.लखावत, अभिभाषक प्रार्थीगण । श्री नरेन्द्र जैन, अभिभाषक अप्रार्थीगण। **आदेश** 1– हस्तगत् निगरानी राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा–84 के अन्तर्गत विद्वान भू प्रबंध आयुक्त जयपुर द्वारा अपील संख्या 55 / 95 में पारित निर्णय दिनांक 4–9–01 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। 2– निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने बहस में कहा कि प्रार्थीगण ने ग्राम हरदत्तपुरा की कृषि भूमि खसरा नंबर 48 / 238 रकबा 3.52 हेक्टयर जिसके पूर्व खसरा नंबर 1 / 20 मिन है जिसे मूल खातेदार दुर्गालाल पुत्र जगन्नाथ से विक्रय पत्र दिनांक 30–9–94 से क्रय किया है तथा आज दिनांक तक विवादित आराजी पर प्रार्थीगण काबिजकाश्त है। दिनांक 30–9–94 से पूर्व भूमि बाबत् विक्रेता दुर्गालाल तथा अन्य सहखातेदारों के मध्य विभाजन बाबत् वाद का निर्णय दिनांक 28–11–85 को किया गया जिसे तत्समय सभी सह काश्तकारों ने माना तथा विक्रेता भूमि पर विक्रय पत्र में अंकित भूमि पर जहाँ जैसे काबिज था बाद विक्रय पत्र प्रार्थीगण भूमि पर काबिज रहे है परन्तु विगत दिनों अचानक ज्ञात हुआ कि सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी आमेर द्वारा निर्णय दिनांक 13–7–93 को पारित किया गया था जिसे भू प्रबन्ध अधिकारी ने दिनांक 20–2–95 को निरस्त कर दिया तथा बाद में भू प्रबंध आयुक्त जयपुर के न्यायालय में निर्णय दिनांक 4–9–2001 को पारित हुआ है। जिससे व्यथित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। उनका कथन है कि भू प्रबन्ध आयुक्त का निर्णय दिनाक 4–9–2001 न्याय नियम एवं अभिलेख के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है। प्रार्थीगण को विक्रय पत्र निष्पादन के उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय में लम्बित प्रकरण में पक्षकार बनाये बिना जो निर्णय भू प्रबन्ध आयुक्त ने पारित किया है वह पूर्णतया अवैधानिक निर्णय होने से निरस्तनीय है। प्रार्थीगण के पक्ष में क्रय शुद्धा भूमि का विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण या 13 दिनाक 21–12–95 को स्वीकार किया जा चुका था तथा इसके पश्चात प्रार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय में लम्बित द्वितीय अपील प्रकरण में आवश्यक पक्षकार थे परन्तु अकेले दुर्गालाल को पक्षकार बनाया जाकर उसके अभिभाषक की सहमति अंकित कर जो निर्णय पारित किया गया है वह प्रार्थीगण के हितों पर पूर्णतया विपरीत प्रभाव डालता है इस कारण प्रार्थीगण को सुने बिना जो निर्णय पारित किया गया है वह निर्णय दिनांक 4–9–2001 निगरानी के माध्यम से निरस्त किये जाने योग्य है। भू प्रबंध आयुक्त द्वारा पारित निर्णय दिनाक 4–9–2001 द्वारा सहायक भू प्रबन्ध	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	अधिकारी आमेर के निर्णय को निरस्त करने के आदेश पारित करते हुए भू प्रबन्ध अधिकारी के निर्णय को भी निरस्त किये जाने का आदेश पारित किये जाने से प्रकरण में विसंगतियां उत्पन्न हो चुकी है तथा निर्णय दिनाक 4–9–2001 विरोधाभाषी निर्णय होने से निरस्त किये जाने योग्य है। भू प्रबन्ध आयुक्त जयपुर ने जो निर्णय पारित किया वह 31–10–84 एवं 2054 की जमाबन्दी के अनुसार इन्द्राज रखे जाने का निर्णय पारित किया है अर्थात स्वयं प्रार्थीगण जो निर्णय के दिन अभिलेख में खातेदार थे उन्हे बिना सुने पूर्व जमाबन्दी इंद्राज यथावत रखने का निर्णय प्रार्थीगण के हितो के पूर्णतया विपरीत है। न्यायालय के समक्ष अपार्थी संख्या 6 के पक्ष में हस्तांन्तरण का तथ्य अभिलेख पर था तथा स्पष्ट अंकन भू प्रबन्ध अधिकारी के निर्णय में इस बाबत था फिर भी वर्ष 1984 की स्थिति बाबत निर्णय पारित कर भू–प्रवन्ध आयुक्त ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर तात्विक अवैधानिकता एवं अनियमितता करते हुए निर्णय पारित किया है। दुर्गालाल द्वारा भू प्रबन्ध आयुक्त के समक्ष समुचित तथ्य प्रकट नहीं किये गये तथा जो निर्णय पारित किया गया वह पूर्णतया प्रार्थीगण के हितो पर विपरीत प्रभाव रखता है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर भू प्रबंध आयुक्त राजस्थान जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 4–9–01 निरस्त किया जावे तथा भू प्रबंध अधिकारी जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20–2–95 को बहाल किया जावे। 4– उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने बहस में कहा कि भू प्रबंध आयुक्त राजस्थान जयपुर ने अभिलेख पर उपलब्ध समग्र सामग्री को दृष्टिगत रखते हुये निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की तात्विक त्रुटि नहीं है। अतः भू प्रबंध आयुक्त राजस्थान जयपुर का निर्णय यथावत रखा जावे एवं निगरानी निरस्त की जावे। 5– उभय पक्षों की बहस सुनी गई तथा पत्रावली के साथ अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया। 6– पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि हस्तगत् निगरानी प्रार्थीगण द्वारा विद्वान भू प्रबंध आयुक्त राजस्थान जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 4–9–01 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। न्यायालय भू प्रबंध आयुक्त राजस्थान जयपुर के समक्ष अपील सं. 55 / 95 का निर्णय दिनांक 4–9–01 को हुआ है जिसमें प्रार्थीगण पक्षकार संस्थित नहीं है। जबकि भू प्रबंध आयुक्त के निर्णय के पैरा सं. 4 में रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने स्पष्ट कथन किया कि रेस्पोडेंट सं. 6 ने वादग्रस्त आराजी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30–9–94 को बेचान कर दिया गया है ऐसी स्थिति में उक्त बेचान के बाद उसके खातेदारी की भूमि के संबंध में समस्त हित व अधिकार समाप्त हो चुके है। प्रार्थीगण ने ग्राम हरदत्तपुरा की कृषि भूमि खसरा नंबर 48 / 238 रकबा 3. 52 हेक्टयर मूल खातेदार दुर्गालाल पुत्र जगन्नाथ से विक्रय पत्र दिनांक	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	30–9–94 से क्रय कर काबिजकाश्त है तथा प्रार्थीगण के पक्ष में क्रय शुद्धा भूमि का विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण संख्या 13 दिनाक 21–12–95 को स्वीकार किया जा चुका था। भू प्रबंध आयुक्त राजस्थान जयपुर के समक्ष उक्त तथ्य परिलक्षित होने के बावजूद प्रार्थीगण को द्वितीय अपील प्रकरण में आवश्यक पक्षकार संस्थित नहीं किया तथा अकेले मूल खातेदार दुर्गालाल को पक्षकार बनाया जाकर उसके अभिभाषक की सहमति अंकित कर भू प्रबंध आयुक्त राजस्थान जयपुर से आलोच्य निर्णय पारित करवा कर सहायक कलेक्टर चौमू के निर्णय व डिक्री दिनांक 31–10–84 के अनुसार इंद्राज रखे जाने का निवेदन किया तथा सहमति के आधार पर ही भू प्रबंध अधिकारी जयपुर का आदेश दिनांक 20–2–95 व सहायक भू प्रबंध अधिकारी आमेर का आदेश दिनांक 13–7–93 निरस्त कर भू प्रबंध आयुक्त राजस्थान जयपुर ने सहायक कलेक्टर चौमू के निर्णय व डिक्री दिनांक 31–10–84 अर्थात राजस्व जमाबंदी संवत् 2054 के अनुसार इंद्राज रखने का निर्णय दिया है। भू प्रबंध आयुक्त राजस्थान जयपुर का उक्त निर्णय प्रार्थीगण के हितों पर पूर्णतया विपरीत प्रभाव डालता है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये हस्तगत् निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर भू प्रबंध आयुक्त राजस्थान जयपुर के निर्णय दिनांक 4–9–01 में संशोधन कर सहायक कलेक्टर चौमू के निर्णय व डिक्री दिनांक 31–10–84 के अनुसार राजस्व रिकार्ड में इंद्राज दर्ज कर पश्चातवर्ती कार्यवाहियों (बेचान / विरासत आदि) के अनुसार आगामी कार्यवाहीं किये जाने के आदेश दिये जाते है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली बाद फैसल शुमार, नंबर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया । **(मदनलाल नेहरा)** **सदस्य**	